

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
(A State Government Undertaking) (A Successor Company of CSEB)

PUBLIC NOTICE

In compliance with the provision under section 62 and 86(1) of the EA-2003 and the various provisions under the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's "Conduct of Business Regulations, 2009" and "Terms and Conditions of determination of tariff according to multi year tariff principle and Methodology and Procedure for determination of expected revenue from Tariff and Charges" Regulation, 2015, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (CSPTCL) has filed a petition (registered vide no. 67/2017(T)) for provisional True-up of ARR for FY 2016-17 along with determination of Transmission tariff proposal for FY 2018-19 before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC).

In the instant petition, a prayer has been made before Hon'ble Commission for approval of revenue surplus of Rs. 18.61 Crs. from the ARR of FY 2016-17 on account of provisional true up.

Copies of the tariff petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and at the office of the Executive Director (Commercial and Planning) CSPTCL at Daganiya, Raipur which can be purchased on any working day on payment of Rs. 250/- & may also be obtained by post on payment of additional charges of Rs. 50/-. Copy of this notice and the petition are also available on website www.cspc.co.in and www.cserc.gov.in

Objections/ suggestions related to the petition of CSPTCL may be sent to the office of the Executive Director (Commercial and Planning), CSPTCL at Daganiya, Raipur and/ or the Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, New Shanti Nagar, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. Advance copies of objections/ comments may be sent through fax to CSPTCL at 0771-2574698 and to CSERC at Fax No. 0771-4073553. The Commission may give an opportunity to the persons filing Objections/ suggestions to participate in hearing. Date and place of hearing shall be published by CSERC separately through newspapers.

Executive Director (C&P)
CSPTCL, Raipur

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86(1) में निहित प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए संबंधित टैरिफ विनियमों में निहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार पूर्व वार्षिक राजस्व आव यकता वर्ष 2016-17 का प्रोविजनल टू-अप एवं वर्ष 2018-19 के लिए पारेषण टैरिफ अवधारणा हेतु याचिका क्रमांक 67/2017(T) माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रोविजनल टू-अप याचिका में वार्षिक राजस्व आव यकता वर्ष 2016-17 हेतु राजस्व लाभ रू.18.61 करोड़ के अनुमोदन हेतु प्रार्थना की गई है।

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर के कार्यालय में तथा कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं योजना) छराविपारेकमर्या रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रू.250/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रू.50/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in एवं आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना के जारी होने के 21 दिनों के भीतर कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं योजना) छराविपारेकमर्या रायपुर और/ या सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सुझाव/आपत्ति की अग्रिम प्रति फ़ैक्स द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग को नंबर 0771-4073553 पर भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं योजना)
छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर